MR. CHAIRMAN: Please. No, no. Mr. Rapolu, please. You cannot ask an open-ended question.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: With the proper support of the banks... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You cannot ask an open-ended question. It has to relate to the main Question and the answer ...(Interruptions)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Exactly, Sir. Rural Development Ministry has just identified 40 blocks. After achieving so much wide rural enterprise with the Khadi and Village Industries Commission, still this is the piecemeal effort by this present Government. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Thank you ...(Interruptions)... Thank you. ...(Interruptions)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I would like to know whether they are intending to support through banks ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please. Now, sit down. Let the question be answered.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, he has rightly said that rural development is a vast subject. Sixty eight per cent of our population is still living in the rural areas. But what I have said is, National Rural Livelihood Mission is one of the component of the entire Rural Development Ministry Programme and this Start-up Village Entrepreneurship is one of the smallest. But, still if you want to know what we are doing under National Rural Livelihood Mission, we are taking up promotion of the institution of the poor by constituting Self-Help Group. Then, revolving fund and the Community Investment Support Fund, is also a very important programme. And regarding interest subvention, wherever SHGs are working efficiently, they have to give only four per cent of the interest; rest of the interest is subvented. DDU-GKY is another programme which has been launched where the employment or the job to the trainee is assured up to 75 per cent. If 100 trainees are there, 75 would be assured of the job. That is one programme. Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana is also one of the programme. So there are a lot of programmes which we have started.

Non-Compliance of E-Waste Rules by producers

*78. SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether e-waste contains toxic materials such as mercury, lead, cadmium and brominated flame retardants which are extremely harmful to humans and the environment;

- (b) if so, whether it is a fact that the leading producers of electronic and electrical equipments are shirking their responsibilities provided under the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011 and if so, the details thereof;
- (c) whether the Delhi-based environmental organisation "Toxics Link" has conducted a study on e-waste recently;
 - (d) if so, whether Government has studied the aforesaid report; and
- (e) if so, the action taken against the producers for non-compliance of E-Waste Rules?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) Yes Sir. E-waste contains toxic materials such as Mercury, Lead, Cadmium, Hexavalent Chromium, and brominated flame retardants. These toxic materials, if not handled in an environmentally sound manner, may be harmful to human health and environment.
- (b) The responsibilities of producers of electrical and electronic equipment (EEE) under E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011 include collection and channelization of end of life EEE, financing and organizing a system to meet the cost involved in environmentally sound management of e-waste, creating awareness about hazardous constituents of e-waste and its handling, obtaining authorization, maintaining records of e-waste handled, and filing of returns in fulfillment of above responsibilities. As on date 151 producers have received authorization under e-waste Rules. In the year 2014, CPCB reported that 12138 tonnes of E-Waste has been channelized by the producers. However, there is no information available about the steps taken by producers on creating awareness as prescribed and on the financial mechanism to be in place by the producers in fulfillment of their obligations under the Rules for e-waste collection system.
- (c) and (d) It has come to the notice of the Ministry that Delhi based organization Toxic Link has published a report titled 'Time to Reboot-II'. In the said study report Toxic Link has rated the producers as defined under e-waste Rules, 2011 with reference to the implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) and implementation of Restriction on Hazardous Substances (ROHS). As per the report 18 producers fall under the red category indicating unsatisfactory performance with respect to fulfilling their responsibility under EPR.

(e) The e-waste (Management and Handling) Rules, 2011 vest the State Pollution Control Boards (SPCBs)/Pollution Control Committee (PCCs) with the responsibility of monitoring of compliance of the provisions of Rules. Notices have been issued by some of the SPCBs/PCCs to producers of EEE for non-compliance under the rules. The above stated report of Toxic Link is a recent publication. The Ministry after having reviewed the implementation of e-Waste (Management and Handling) Rules has undertaken the task of revision of the rules including that of responsibilities of producers to revamp the E-Waste management rules.

The draft E-Waste (Management) Rules, 2015 have been published by the Ministry. The provisions of this Draft Rules include expanding producer's responsibility in the form of EPR, setting up of Producer's Responsibility Organizations, and e-waste exchange, assigning specific responsibility to bulk consumers of electronic products for safe disposal, providing for economic incentives for collection of electronic waste, and other measures to include dedicated responsibility of electronic and electrical product manufacturers for collection and channelization of e-waste.

श्री सभापतिः क्वेश्चन ७८, मंत्री कौन है? Who is the Minister? ...(Interruptions)...

SHRI KIREN RIJIJU: Yes, Sir.

श्री सभापतिः ठीक है, please answer the question.

श्री रिव प्रकाश वर्माः माननीय सभापित जी, मैं आपकी अनुमित से माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के पर्यावरण, प्रदूषण के संबंध में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहां जो ई-वेस्ट पॉल्यूशन है, इसके बारे में सरकार ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन उनके अनुपालन में पारदर्शिता का अभाव है, जिसके कारण ई-वेस्ट प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज मिलता है। आज पर्यावरण में ऐसे पॉल्यूटेंट बढ़ रहे हैं, जिनसे जन-स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। सरकार ने कहा है कि 151 संस्थान, उत्पादक ऐसे हैं, जो पंजीकृत हो चुके हैं और जो एप्रॉक्सिमेटली 12,138 टन का रीसाइकल करते हैं। सर, एक "टॉक्सिक्स लिंक" एजेन्सी है, जिसने सर्वे करके बताया है कि आज भी 18 उत्पादक ऐसे आइडेंटिफाइड हैं, जो कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से आपके संरक्षण में आकर सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर उसकी ट्रांसपेरेन्सी एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म या कोई आयोग बनाना चाहती है या नहीं चाहती है?

श्री किरन रिजिजुः सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही सही तरीके से अपनी बात को रखा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एक ही स्पेसिफिक सवाल पूछा है। जिन समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया है, उसको मैं डीटेल में यहां एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। जो एक संस्था है "टॉक्सिक्स लिंक", उसने एक स्टडी की और "टाइम टू रीबूट टू" करके अपनी रिपोर्ट सबिमट की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने जितनी भी समस्याओं का जिक्र किया, उसमें एस्टीमेट लगाया। सरकार ने उसमें "ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2015" का ड्राफ्ट बनाया है। यह ड्राफ्ट तैयार है और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पर दिया है, जिसे सब लोग आराम से देख सकते हैं। जो कन्सन्स्र रेज़ किए गए है, वे

सब उसमें इंक्लूडेड हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो मेन कन्सर्न है—collection system of e-waste, channelizing of e-waste, financing the system, public awareness about e-waste and disposal prescribed, taking authorization and filing returns. तो जिन प्वाइंट्स का उन्होंने जिक्र किया है, उन्हें ऑलरेडी हमने ड्राफ्ट रूल्स में शामिल किया है।

श्री रिव प्रकाश वर्माः माननीय सभापित जी, इसके साथ एक और चीज पैदा हो रही है। चूंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग काफी बढ़ रहा है, इससे हर साल ई-वेस्ट का क्वांटम बढ़ता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पब्लिक हेल्थ कन्सर्न्स, जो इससे रिलेटेड हैं, उनको एड्रेस करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रही है?

श्री किरन रिजिजुः सर, जो भी मंत्रालय इससे लिंक्ड है, उससे मिल कर हमें काम करना ही है। अपनी लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हमें, सरकार को बहुत संवेदनशील होना ही पड़ेगा और इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री से तो हमारा बहुत ही डायरेक्ट लिंक रहता है। इसमें प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्ट रेस्पांसिबिलिटी है, उसके लिए रूल्स को बहुत stringent किया गया है। नए रूल्स के मुताबिक जो भी प्रोड्यूसर ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर vicarious responsibility होगी, वह बच नहीं सकता है। तो इसमें बहुत कठोर प्रावधान रखा गया है। इससे माननीय सदस्य का जो कन्सर्न है, वह एड्रेस हो जाएगा।

श्री शरद यादवः सभापित महोदय, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक विध्वंस जो हुआ था, वह भोपाल में हुआ था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के विध्वंस वाली औद्योगिक घटना कहीं नहीं हुई। वहां लगभग 64 एकड़ का जो इलाका है, वहां आज भी लोग बसे हुए हैं, वहीं खेती कर रहे हैं, उसी का पानी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहां नहीं हैं, भारत सरकार इस सवाल का समाधान कैसे निकालेगी, आज तक भी यह साफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सवाल मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। सरकार को इस मामले को व्यापक तौर पर, पूरी गहराई से देखना चाहिए कि इसका क्या समाधान होगा? आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए, यदि अभी दे सकते हैं, तो बहुत बेहतर होगा।

श्री किरन रिजिजु: सर, माननीय सदस्य श्री शरद यादव जी ने जो कहा है, वह एक सजेशन के तौर पर कहा है। उन्होंने यह जो बड़ा मुद्दा उठाया है, इसमें एक स्पेसिफिक सजेशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने absolute responsibility के concept का जिक्र किया है। चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करता हो, इलेक्ट्रिकल आइटम्स प्रोड्यूस करता हो, कैमिकल्स या कोई hazardous things प्रोड्यूस करता हो, जो वस्तुएं शरीर और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं, उनकी absolute responsibility से अब कोई बच नहीं सकता है। Vicarious responsibility का जो प्रावधान रखा है, वह इसीलिए रखा है कि उसको इन वस्तुओं की पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। जो ड्राफ्ट रूल्स इसकी प्रक्रिया में बनाए गए हैं, उनमें इसका जिक्र किया गया है।

श्री अविनाश राय खन्ना: सर, जिस ढंग से माननीय मंत्री जी एवं अन्य सदस्यों ने बताया है, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। देखने में यह भी आया है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ एनजीओज़ के माध्यम से वहां का इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो एक्सपायर होने वाला होता है, उसको यहां भेजने की कोशिश करती हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में ई-वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कितना बजट एलोकेशन हुआ है और हमने कितनी क्वांटिटी में इसको कम करने की कोशिश की है?

श्री किरन रिजिजु: सर, इन्होंने इसके लिए स्पेसिफिक फिगर पूछी है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट और हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ अंतर है। सर, मैं एक स्टडी रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं, जो UN University ने जारी की है। उनका कहना है कि हिन्दुस्तान में टोटल 1.7 मिलियन टंस का ई-वेस्ट जेनरेट होता है, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं। हिन्दुस्तान में किसी भी सामान की जो एक लाइफ होती है, हमारे यहां उसके बाद भी वह इस्तेमाल होता रहता है। हमारे यहां पर रिपेयर करवाने और फिर उसकी लाइफ एक्सपेंशन करके, दोबारा रीसाईकल करने का कॉन्सेप्ट रहा है, इसलिए वेस्टर्न स्टडी के मुताबिक, जो 1.7 मिलियन टंस का इतना बड़ा एक क्वांटम दिखाया गया है, हम उनसे एग्री नहीं करते हैं। इसके बदले में हमने हिन्दुस्तान की वेरियस एजेंसीज़ के माध्यम से जो स्टडी करवाई है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने इंडिया में जो स्टडी की है, उसके मुताबिक यहां पर 2009 में 4.34 लाख मीट्रिक टंस कम्बाइंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ई-वेस्ट जेनरेट हुआ है— यह हमारी स्टडी है।

माननीय सदस्य ने बाहर से जो ई-वेस्ट आने का जिक्र किया है, उसके बारे में हमने investigation शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल जाएगा कि बाहर से आने वाले ई-वेस्ट और हमारे यहां पर जेनरेट हुए ई-वेस्ट को प्रोसेस करके कितना कंबाइंड ई-वेस्ट जेनरेट हुआ है। हमने जो नया प्रोसेस शुरू किया है, इससे यह जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

SHRI VIVEK GUPTA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has written that these toxic materials are not handled in an environmentally-sound manner and may be harmful to human health and environment. I would like to know whether the mercury or lead or cadmium in per tonne of e-waste, which is generated during the process, is harmful at the point the generation or it is harmful at the point of processing.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, any item, which is hazardous to the human health or environment, will be hazardous at every point of time when it comes in contact with the human being or environment. That is why, I have explained earlier also, now it is not only the users, but producers will also have absolute liability for handling and managing the e-waste generated by their products.

*79. [The questioner (SHRI SANJAY RAUT) was absent.]

Solar pumps to farmers

- *79. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:
- (a) whether Government has decided to provide one lakh solar pumps to farmers to reduce dependence on coal-based energy, especially in drought prone areas;